महत्वपूर्ण

संख्या-14/2022/325/26-3-2022-4(188)/93टी0सी0

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 25 फरवरी 2022

विषयः समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को आनलाइन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1206/स0क0/विकास/मु0स0वि0यो0 (16)/आनलाइन-प्रस्ताव/2021-22, दिनांक-02.02.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह को आनलाइन किये जाने साथ ही योजना का साफ्टवेयर एन0आई0सी0/शासनादेश संख्या-12/2018/585/78-2-2018/135आई0टी0/2017,दिनांक-05.09.2018 में अंकित संस्था यू0पी0डेस्को/ यू0पी0एल0सी0/ श्रीट्रान इण्डिया तथा अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 से तैयार कराने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु राज्य सूचना विज्ञान इकाई, उ0प्र0 के सहयोग से आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-161/2017/44वी0आई0पी0/26-3-2017-4(188)/93टी0सी0, दिनांक-12.10.2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0सं0-14/2022/325(1)/26-3-2022-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।

3-अपर/प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री उ0प्र0शासन।

4-अपर/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/जनजाति विकास विभाग/उ0प्र0शासन।

5-निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0।

6-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

7-समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

8-समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

9-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।

10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।